

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, को लोक सूचना पदाधिकारी पदाविहित किया

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- पदाविहित पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- पूर्व निर्गत आदेश सं० 1265 दिनांक 04.05.10 को इस हद तक संसोधित समझा जाये।
- इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

हस्ताक्षर

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

संख्या

बि० प्रा० (1) व० 2 - 152/05

पटना, दिनांक -

मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/
महानिदेशक, विपार्ट, वाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी
प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

हस्ताक्षर

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

संख्या
दिनांक

बि० प्रा० (1) व० 2 - 152/05

2379/ पटना, दिनांक - 8-10-2012

श्री नित्यानन्द प्रसाद, उप निदेशक (त०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क सभी पदाधिकारी/सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

हस्ताक्षर